अनुराग पटेल

बनाम

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य

29 सितंबर, 2004

[के. जी. बालकृष्णन और डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे. जे.]

सेवा कानूनः

उत्तरप्रदेश राज्य - राज्य सेवा/ उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा - यू पी पी एस सी के माध्यम से सीधी भर्ती - आरक्षण - उच्च रैंक प्राप्त करने वाले एवं सामान्य मेरिट मे चयनित आरक्षित उम्मीदवारों तथा मेरिट लिस्ट मे निम्न स्थान प्राप्त लेकिन आरक्षित पदों पर चयनित उम्मीदवारों के मध्य वरीयता के आवंटन के संदर्भ में - यू. पी. सरकार, निर्देश दिनांक 19.10.1992 - आयोजित, एक सेवा से अधिक के लिए आयोजित एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में एक से अधिक सेवाओं में, प्रत्येक सेवा को अलग से माना जाना चाहिए-संबंधित अधिकारियों को सामान्य योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी चाहिए और आरक्षित रिक्तियों के बदले नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की भी सूची तैयार करनी चाहिए और नियुक्ति करते समय आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवारों की वरीयता पर विचार किया

जाना चाहिए और तदनुसार उम्मीदवारों को प्रत्येक सेवा को अलग से मानने का विकल्प दिया जाना चाहिए-राज्य सरकार तदनुसार पुनः आवंटन की कवायद करेगी।

रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई. एल. यमुल और अन्य। (1996) 3 एस. सी. सी. 253 और बिहार राज्य और अन्य बनाम एम. नीति चंद्र और अन्य। (1996) 6 एस. सी. सी. 36, पर निर्भर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4794/1998

सी एम डबल्यू पी सं. 46029/1993 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 15.4.98 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सी. ए. सं. 4795/98, 6763, 6764/2004

उपस्थित होने वाले पक्षों के लिए राजीव दत्ता, आर. एन. त्रिवेदी, पी. एन. मिश्रा, टी. एन. सिंह, वी. के. सिंह, एस. एन. सिंह, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, श्रीमती दीप्ति, आर. मेहरोत्रा, गर्वेश काबरा, शैल कुमार द्विवेदी, जी. वेंकटेश्वर राव, सुश्री श्वेता गर्ग, मोहम्मद शोएब आलम, के. एल. मेहता एंड कंपनी, प्रदीप मिश्रा, हिमांशु मुंशी, आर. पी. गुप्ता, ए. एस. पुंडिर, विभाकर मिश्रा, पंकज कुमार और के. एल. जंजानी।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

विशेष अनुमति याचिका संख्या 24015/2003 और 2197/2004 में अनुमति दी गई।

वर्ष 1990 में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (संक्षिप्त में यू॰पी॰पी॰एस॰सी॰) ने विभिन्न पदों जैसे कि यू. पी. सिविल (कार्यकारी) सेवाओं में डिप्टी कलेक्टर/ उत्तर प्रदेश पुलिस सेवाओं में पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश वित्त और लेखा सेवाओं में ट्रेजरी अधिकारी/लेखा अधिकारी, बिक्री कर अधिकारी, सहायक परिवहन अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी और विभिन्न अन्य पद पर चयन के लिए एक संयुक्त राज्य सेवा/उच्च अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा आयोजित की। यू॰पी॰एस॰सी॰ द्वारा किए गए विज्ञापन के अनुसार, बड़ी संख्या में उम्मीदवार चयन के लिए उपस्थित हुए और यू॰पी॰पी॰एस॰सी॰ ने अगस्त, 1992 में चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की। विभिन्न श्रेणियों में कुल 358 पदों को भरा गया। इन उम्मीदवारों में कुल 358 पदों में से विभिन्न श्रेणियों में 57 पदों के संबंध में पिछड़े वर्गों से संबंधित लोग चयन में आरक्षण प्राप्त करने के हकदार थे। सेवा की प्रत्येक श्रेणी में पदों को उम्मीदवार की पसंद से भरा जाता है और योग्यता सूची में उच्च स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति यू. पी. सिविल (कार्यकारी) सेवा का विकल्प चुनता है और जिन्हें सेवा की उच्च और महत्वपूर्ण श्रेणी नहीं मिल पाती है, उन्हें कम महत्व की सेवाओं में पदों से संतुष्ट होना पड़ता है। प्रत्येक श्रेणी में सेवा पद

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए आरक्षित थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का चयन सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सीटों (पदों) पर किया जाता है। यू॰पी॰एस॰सी॰ ऐसे उम्मीदवारों के साथ सामान्य श्रेणी जैसा व्यवहार करता है और उन्हें चयन सूची में उनके द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर विभिन्न सेवाओं में आवंटित करता है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बी. सी. उम्मीदवार, जिन्हें सामान्य की योग्यता सूची में कम रैंक मिली है ऐसे उम्मीदवारों को केवल कम महत्वपूर्ण सेवा में नियुक्ति मिलेगी। हालांकि, एससी/एसटी और बी. सी. उम्मीदवार जिन्होंने प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित पदों के लिए चयन किया भले ही उन्होंने पूरी चयन सूची में कम रैंक हासिल की हो, उन्हें प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित पदों पर नियुक्त किया जाएगा। नियुक्तियों के इस तरीके ने आरक्षित श्रेणी में पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के साथ गंभीर अन्याय किया, फिर भी उन्हें सामान्य सीटों (पदों) पर चयन मिला क्योंकि वे मेधावी थे और सामान्य के साथ चयन प्राप्त करने के हकदार थे। हालाँकि, उनकी योग्यता और क्षमता का कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उन्हें केवल कम महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति मिली।

उक्त विसंगति निम्नलिखित तथ्यों से आसानी से देखी जा सकती हैः

चयनित सूची में 76 वां स्थान प्राप्त करने वाले तीसरे प्रतिवादी यानी सी. ए. नंबर 4784/98 में राजेश कुमार चौरसिया ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 1993 की सिविल विविध रिट याचिका सं. 46029 दायर की यह तर्क देते हुए कि उन्हें बिक्री कर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि सी. ए. सं. 4794/95 यानी नानकू राम (अनुराग पटेल) में अपीलार्थी, जो भी एक पिछड़े वर्ग के ही उम्मीदवार थे, को उप-कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने तीसरे प्रतिवादी के अनुसार, चयन सूची में 97 वीं रैंक हासिल की थी, जो उनसे कम रैंक थी। इसी तरह, पिछड़े वर्गों से संबंधित सभी 8 व्यक्तियों, जिनका नाम चयन सूची में है, ने 1993 की रिट याचिका संख्या 22753 दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि वे सेवा के उच्च संवर्ग में नियुक्ति पाने के हकदार हैं क्योंकि चयन सूची में निम्न रैंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्ति दी गई थी। रिट याचिका में पहले याचिकाकर्ता यानी श्री राम स्नेकर मौर्य और दूसरे याचिकाकर्ता यानी श्री अब्दुल समद चयन सूची में क्रम संख्या 13 और 14 पर थे।। इन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आरक्षित श्रेणी में नियुक्ति पाने वाले निम्न रैंक के व्यक्तियों को इस आधार पर नियुक्ति दी गई थी कि उन पदों को द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में नियुक्त करने के लिए निर्धारित किया गया था।

इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने नियुक्तियां करते समय सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया। जब चयन किया गया तो कुछ पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का चयन सामान्य श्रेणी में किया गया और नियुक्ति करते समय ओपन मेरिट कोटे में चयन के लिए इन उम्मीदवारों को सामान्य उम्मीदवार माना गया और उनकी नियुक्ति योग्यता में तैयार रैंक सूची के आधार पर की गई। आरक्षित कोटे के विपरीत, केवल उन्हीं उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था जिन्होंने आरक्षण प्राप्त किया था और चयन में प्रवेश प्राप्त किया था। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश सिविल (कार्यकारी) सेवाओं के मामले में कुल 20 पद थे, जिनमें से 10 पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा, 4 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा, 2 पद सेना के विस्थापित व्यक्तियों/विकलांगों/आपातकालीन कमीशन/लघु सेवा कमीशन अधिकारियों/पूर्व सैनिकों के लिए, एक पद उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों का और 3 पद पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए भरे जाने थे। यह चयन के तहत आने वाला सबसे शीर्ष पद होने के कारण, अधिकारियों को 19 अक्टूबर, 1992 को सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पद भरना चाहिए था। निर्देश निम्नलिखित प्रभाव के लिए थाः

"एक से अधिक सेवाओं के लिए संयुक्त रूप से आयोजित परीक्षाओं के सफल उम्मीदवारों का आवंटन/अनुभाग को प्रत्येक सेवा के लिए अलग से माना जाना चाहिए।"

यदि आरक्षित श्रेणी से संबन्धित कोई अभ्यर्थी सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मानदंडों में छूट और आयु सीमा में छूट की सुविधा का लाभ उठाए बिना योग्यता के आधार पर सफल होता है, उसकी प्राथमिकता के आधार पर, उसे आरक्षित की रिक्ति/पद के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत, यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी वरीयता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मानदंडों में छूट और आयु सीमा में छूट की सुविधा का लाभ उठाने के बाद चयन सूची में स्थान पाता है, उसे आरक्षित कोटे की रिक्ति/पद पर समायोजित किया जाना चाहिए।"

ऐसा प्रतीत होता है कि पहली श्रेणी यानी यू. पी. सिविल (कार्यकारी) सेवाओं के संबंध में उम्मीदवारों की सिफारिश निम्नानुसार की गई हैः

पहले 10 उम्मीदवारों को खुली योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद तीन सीटें जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित थीं, ओ. बी. सी. उम्मीदवारों द्वारा भरी गईं, जिन्होंने रैंक संख्या 38 , 62 और 97 हासिल की। यू॰पी॰पी॰एस॰सी॰ द्वारा तैयार की गई रैंक सूची से पता चलता है कि उम्मीदवार संख्या 38, श्री अशोक चंद्र जिन्हें डिप्टी

कलेक्टर के रूप में नियुक्ति मिली थी की तुलना में 9 उम्मीदवारों ने उच्च रैंक हासिल की थी, और उम्मीदवार श्री रमेश चंद्र यादव, जिन्हें डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्ति मिली, ने चयन सूची में केवल 62 वां स्थान हासिल किया और इनमें से पिछड़े वर्ग के 15 उम्मीदवार रैंक सूची में उनसे ऊपर थे। इसी प्रकार 97 वीं रैंक धारक जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में याचिकाकर्ता था और 1998 के सी. ए. सं. 4794 में वर्तमान अपीलार्थी को भी डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्ति मिलती है और योग्यता सूची में कई अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार थे, जिन्होंने चयन में अधिक अंक प्राप्त किए। यह विसंगति तब हुई जब उपरोक्त उम्मीदवार जिन्होंने तीसरे उत्तरदाता की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे को विभिन्न अन्य पदों के लिए सामान्य श्रेणी में उत्पन्न रिक्तियों के अंतर्गत समायोजित किया गया जैसे कि यू. पी. वित्त और लेखा सेवाओं में ट्रेजरी अधिकारी/लेखा अधिकारी, बिक्री कर अधिकारी, सहायक परिवहन अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी आदि। अधिकारियों को सामान्य योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ आरक्षित रिक्तियों के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों को भी तैयार करना चाहिए था और नियुक्तियाँ करते समय आरक्षित उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता पर विचार किया जाना चाहिए था और उन्हें प्रत्येक सेवा को अलग से मानने का विकल्प दिया जाना चाहिए था। चूंकि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए कम मेधावी उम्मीदवारों को उच्च

पदों पर नियुक्ति मिली, जबकि अधिक मेधावी उम्मीदवारों को निम्न श्रेणी के पदों से संतुष्ट होना पड़ा।

मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के मामले में भी यही कठिनाई अनुभव की गई थी और इस न्यायालय ने रितेश आर. शा बनाम डॉ. वाई. एल. यमुल और अन्य [1996] 3 एस. सी. सी. 253 में निर्णय दिया था। पृष्ठ 261 पर निर्णय के पैराग्राफ 17 में इस प्रकार हैः

".....उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी स्थिति के मद्देनजर यह निष्कर्ष अपरिवर्तनीय है कि एक छात्र जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित होने के बावजूद योग्यता के आधार पर प्रवेश का हकदार है, उसे आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के अंतर्गत प्रवेश के लिए विचार योग्य नहीं माना जा सकता है। लेकिन साथ ही ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए कि इससे ऐसे उम्मीदवार को कोई नुकसान न हो और उसे अन्य कम मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक नुकसानदेह स्थिति में न रखा जाए। उपरोक्त उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आरक्षित वर्ग में से उन अभ्यर्थियों का पता लगाया जाए जो अन्यथा ओपन मेरिट सूची में आएंगे और फिर उन विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश के लिए उनके विकल्प पूछे जाएं जिन्हें आरक्षित श्रेणी में रखा गया है, उन अभ्यर्थियों पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें जिन भी महाविद्यालयों में सीटें उपलब्ध होनी चाहिए उन्हें आवंटित कर दिया जाए।

दूसरे शब्दों में, जबकि अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश के हकदार एक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास उन कॉलेजों में प्रवेश लेने का विकल्प होगा जहां आरक्षित श्रेणी के लिए निर्दिष्ट संख्या में सीटें आरक्षित रखी गई हैं, लेकिन आरक्षण प्रतिशत की गणना करते हुए उसके प्रवेश को एक ओपन कैटेगरी कैंडिडैट के रूप में माना जाएगा और आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार के रूप में नहीं।"

इसी प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य और अन्य बनाम एम. नीति चंद्र और अन्य [1996] 6 एस. सी. सी. 36, विचार किया गया था जिसमें यह पैराग्राफ 13 में निम्नानुसार माना गया थाः

“..... हालाँकि, जहाँ तक उनमें से मेधावी लोगों को कॉलेज और विषय के विकल्प से वंचित किया जाता है, जिसे वे आरक्षण के नियम के तहत सुरक्षित कर सकते हैं, परिपत्र को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, परिपत्र केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब सामान्य उम्मीदवारों के साथ योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाला आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार महाविद्यालय/संस्थान और विषय के आवंटन के लिए योग्यता-सह-पसंद के आधार पर सामान्य उम्मीदवार के रूप में माने जाने के लिए सहमत हो।"

तत्काल मामले में, जैसा कि पहले देखा गया है, रिट याचिका संख्या 22753/93 में 8 याचिकाकर्ताओं में से दो जिन्होंने योग्यता सूची में 13

और 14 का स्थान प्राप्त किया था, बिक्री कर अधिकारी-II के रूप में नियुक्त किए गए थे, जबकि 38 , 72 और 97 वी रैंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, जो उनसे निचले स्थान पर हैं, उन्हें उप-कलेक्टर के रूप में नियुक्ति मिली और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि यह उन व्यक्तियों के साथ स्पष्ट अन्याय है जो अधिक मेधावी हैं और निर्देश दिया कि सभी चयनित पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की सूची को अलग से तैयार किया जाएगा जिसमे सामान्य श्रेणी में चुने गए उम्मीदवार भी शामिल होंगे और पदों पर उनकी नियुक्तियां चयन सूची के अनुसार योग्यता के अनुसार सख्ती से की जाएंगी और चयन सूची में उच्च व्यक्ति की वरीयता पहले देखी जाएगी और तदनुसार नियुक्ति दी जाएगी, जबकि सूची में निम्न व्यक्ति की वरीयता को बाद में ही देखा जाएगा। हम उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा जारी निर्देश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं समझते हैं।

श्री आर. एन. त्रिवेदी, आयोग की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि कोई पुनर्व्यवस्था की जाती है, तो वही व्यक्ति जिन्हें पहले ही नियुक्त किया जा चुका था, उनके अपने पदों को खोने की संभावना है। रिट याचिका संख्या 22753/93 में राज्य द्वारा दायर जवाबी बयान के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर 358 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी और पिछड़े वर्गों के 47 उम्मीदवारों को पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित पदों द्वारा भरा गया था। 358 उम्मीदवारों में से

जिन लोगों ने सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें भी सामान्य श्रेणी में चयन प्राप्त होना चाहिए, भले ही वे पिछड़े वर्ग से संबंधित हों। अगर ये उम्मीदवार जिन्हें सामान्य श्रेणी में चयन मिला है, उन्हें वरीयता का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है और फिर तदनुसार नियुक्त किए जाते हैं, आरक्षित श्रेणियों में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को उनके पदों पर नीचे धकेल दिया जाता है और इस प्रकार पिछड़े वर्गों से संबंधित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा छोड़ी गई रिक्तियों को उन व्यक्तियों द्वारा भरा जा सकता है जिन्हें वास्तव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोटे के तहत नियुक्त किया जाता है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए पदों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा।

आयोग के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे बताया कि ये सभी अधिकारी पिछले ग्यारह वर्षों से इन पदों पर काम कर रहे हैं और इनमें से कई प्रभावित हुए पक्षकारों को रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था और यदि इतने समय के बाद पदों का कोई पुनः आवंटन किया जाता है तो यह प्रभावित पक्षों के साथ अन्याय का कारण बनेगा। प्रत्यर्थी के वकील द्वारा यह भी बताया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दायर रिट याचिका यानी रिट याचिका संख्या 32346 में याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया

गया था और पीठ ने निर्देश दिया कि नियुक्ति रिट के परिणाम के अधीन होगी और यह आदेश कुछ समय तक जारी रहा और सभी उम्मीदवारों को सूचित किया गया कि उनकी नियुक्तियां रिट याचिका के परिणाम के अधीन होंगी। हालाँकि समीक्षा के तहत उस रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन जिन उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था, वे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही से अवगत थे। विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने केवल चयन सूची में तैयार योग्यता के अनुसार पदों के पुनः आवंटन का निर्देश दिया था। 1993 की रिट याचिका संख्या 46029 दिनांक 15 अप्रैल, 1998 में दिए गए निर्णय का 1993 की रिट याचिका संख्या 22753 में निर्णय में पालन किया गया था।

इन परिस्थितियों में, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अपीलें तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं। हालांकि, राज्य को तीन महीने की अवधि के भीतर पुनः आवंटन करने का निर्देश दिया गया है। प्रभावित अधिकारियों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा और राज्य यथासंभव ऐसे अधिकारियों को समायोजित करेगा।

आर.पी.

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।